2019/00240

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2019 (राजसमन्द डिक्री)

जलाल पिता हीरा, जाति रेबारी, निवासी सांयो का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय गोटुलाल

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरसिंह पिता प्रतापसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदयसिंह पिता प्रतापसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. हीरसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. डूंगरसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. रामसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. केसरसिंह पिता स्व. खीमसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मोहनसिंह पिता स्व. खीमसिंह, जाति खरवड़ राजपूत, निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. उप पंजीयन अधिकारी, पंजियन कार्यालय, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक
08–04–2019 प्रकरण संख्या 45/2017

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुरेश खटीक अभिभाषक रे.सं. 1 व 2

———::———

Signature Not Verified

दिनांक 30–01–2024

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप[illegible] न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व [illegible] दुरस्ती [illegible]

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की क्रय शुदा आराजी नंबर 1387 से 1390 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि मौजा सांयो का खेड़ा में स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जलाल पिता हीरा रेबारी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मूलपुरूष प्रतापसिंह होकर उनके 4 पुत्र हीमसिंह, भंवरसिंह (वादी), गुलाबसिंह व उदयसिंह (वादी) हुए हीमसिंह लाऔलाद फोत हुआ गुलाबसिंह फोत होकर उसके वारिस हीरसिंह, डूंगरसिंह व रामसिंह क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजियात दिनांक 10–06–1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केसुलाल, भुरालाल, तुलसीराम, नारायणलाल पिता देवा गुर्जर को विक्रय की। तत्पश्चात् क्रेतागणों द्वारा दिनांक 15–09–1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हीमसिंह, भंवरसिंह, गुलाबसिंह व उदयसिंह पिता प्रतापसिंह को 1/2 हिस्सा विक्रय किया तथा 1/2 हिस्सा खीमसिंह पिता नन्दा जी परमार को विक्रय किया। तब से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। हीरसिंह लाऔलाद फोत होने से उसका हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 में वेस्ट होने से वादीगण अपना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी हैं, किन्तु विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से विवादित भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं तथा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप उत्पन्न करते हैं। अतः उक्त आराजीयात वादीगण की क्रय शुदा होने से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–04–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–09–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेश खटीक उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 व 9 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के अपीलान्ट ने साथ दफा 5 [illegible] मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्व में जानकारी नहीं थी। प्रकरण की जानकारी दिनांक 21–08–2019 को नकल प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

होने पर हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद शुमार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर नाथद्वारा के यहां वाद संख्या 183/2016 जलाल बनाम उदयसिंह प्रस्तुत कर रखा है, जो अभी विचाराधीन है, जिसमें वादी स्वयं पक्षकार है तथा वादीगण ने जवाबदावे के साथ प्रतीपदावा प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि कभी भी विक्रय नहीं की, न ही उसे विक्रय करने का अधिकार था, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10-06-1977 का है, जबकि अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार 1990 में प्राप्त हुए हैं, इससे पूर्व अपीलान्ट गैर खातेदार था। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात न तो अपीलान्ट द्वारा विक्रय की गयी है एवं न ही कब्जा सिपुर्द किया गया है। वादीगण ने षड़यंत्र रचकर अपीलान्ट की भूमि हड़पने की नियत से फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को नोटिस जारी किये एवं बिना उसे सुने एकपक्षीय डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 284, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 452, डी.एन.जे. 2002 (1) पेज 188 तथा राजस्व मण्डल का निर्णय वर्ष 2013 रामसिंह बनाम आईदान वगैरह प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उनके द्वारा आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट जलाल द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी नंबर 1387 से 1390 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 10–06–1977 को केसूलाल, भूरालाल, तुलसीराम, नारायणलाल पिता देवा गुर्जर को 2500/– रूपये में किया गया है तत्पश्चात् क्रेता केसूलाल, भूरालाल, तुलसीराम, नारायणलाल पिता देवा गुर्जर दिनांक 15–09–1980 को उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय 4000/– रूपये में हीमसिंह, भंवरसिंह, गुलाबसिंह, उदयसिंह पिता प्रताप जी राजपूत को 1/2 हिस्सा तथा खीमसिंह पिता नन्दा को 1/2 हिस्से का विक्रय किया जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ही वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–04–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............

व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

जलाल पिता हीरा रेबारी, नि. सांयो का खेड़ा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय गोटुलाल **बनाम** भंवरसिंह पिता प्रतापसिंह खरवड़ राजपूत निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......33 / 2019........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....नाथद्वारा....... मुकाम...............मुवर्खे.........08..........माह..............04..............2019.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30.........माह............01.......सन् 2024 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी................श्री मुकेश तलेसरा...........मिनजानिब अपीलान्ट व...............श्री सुरेश खटीक

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–04–2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X..... ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........30............माह...........01..............2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल [illegible]का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner